



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032020-218748
CG-DL-E-18032020-218748

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1009]
No.1009]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 17, 2020/फाल्गुन 27, 1941
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 17, 2020/PHALGUNA 27, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2020

का.आ. 1116(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में तदनुसूची प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के कॉलम (2) में यथानिर्दिष्ट खंड के अनुसार निम्नलिखित सारणी के कॉलम (3) में यथा-विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, नामतः:-

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या (1)	राष्ट्रीय राजमार्ग का खंड (2)	खंड किमी में (3)
रारा-29ई (नई रारा सं.-4)	गोरखपुर बाइपास, रारा-29ई के मौजूदा किमी 79+670 से रारा-28 के मौजूदा किमी 251+700 तक	17.660 किमी

[फा. सं. एनएच-14013/5/2020-पी एड एम]

राजेश गुप्ता, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th March, 2020

S.O. 1116(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national Highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:-

TABLE

National Highways No.	Section of National Highways	Stretch in Kilometers
(1)	(2)	(3)
NH-29E (New NH No. 24)	Gorakhpur Bypass from existing 79+670 of NH-29E to existing km 251+700 of NH-28	17.660 km

[F. No. NH-14013/5/2020-P&M]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.